

बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0-04/निदे0 छात्रावास संघा0(वे0आ0)-46-05/2025-274

प्रेषक,

निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
कैमूर/रोहतास/मुजफ्फरपुर/पूर्णिमा/
भागलपुर/जमुई/बाँका/प0 चम्पारण।

पटना, दिनांक-06/01/2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावासों के संधारणार्थ अन्य मदों में कुल राशि ₹89,30,000/- (नवासी लाख तीस हजार रु0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष-2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावासों के संधारणार्थ अन्य मदों में कुल अतिरिक्त राशि ₹89,30,000/- (नवासी लाख तीस हजार रु0) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2- वर्तमान वित्तीय वर्ष-2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में आय-व्यय मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष 02-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघुशीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0002-छात्रावासों का संधारण विषय शीर्ष-0003.13.01-कार्यालय व्यय, 0003.21.01-सामग्री एवं पूर्ति, 0003.27.02-अनुसूचित एवं मरम्मत, तथा 0003.28.02-संविदा सेवायें मांग सं0-44-विपत्र कोड संख्या-44-2225022770003 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे जो निकासी की गयी राशि की व्यय विवरणी विभाग को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4- वित्त विभाग के पत्र सं0-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

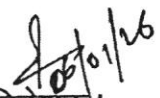
5- संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

7- संबंधित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किया जाएगा।

8-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

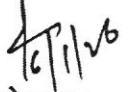
विश्वासभाजन,


निदेशक।

ज्ञापांक-04/निदे0 छात्रावास संघा0(वे0आ0)-46-05/2025- 274

पटना, दिनांक - 06/01/2026

प्रतिलिपि:-संलग्न विवरणी के साथ महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सचिव कोषांग के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण एवं संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/सांख्यिकी कोषांग, बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक।

विवरणी -1
वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत अनु0 जनजाति के छात्रावासों के संधारणार्थ अन्य मदों में आवंटित राशि की विवरणी

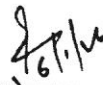
2225022770003
(राशि रू0 में)

क्र0 सं0	जिला का नाम	कार्यालय व्यय (13.01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21.01)	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27.02)	संविदा सेवाएँ (28.02)	कुल योग (3 से 6 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1	कैमूर (भभुआ)	0	0	200000	250000	450000
2	रोहतास	0	0	200000	1700000	1900000
3	मुजफ्फरपुर	0	0	200000	400000	600000
4	पूर्णियाँ	0	0	1100000	800000	1900000
5	भागलपुर	40000	0	400000	0	440000
6	जमुई	0	190000	900000	1050000	2140000
7	बांका	0	0	600000	0	600000
8	प0 चंपारण	0	0	900000	0	900000
	कुल योग	40000	190000	4500000	4200000	8930000

(नवासी लाख तीस हजार रू0 मात्र)

पत्रांक- 274

दिनांक- 06/01/2026 का अनुलग्नक


निदेशक